न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 39/18 **निर्णय दिनांकः 14.12.2018**

1. सुनील पुत्र अर्जनराम जाति बिश्नोई निवासी गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. शंकरलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी राववाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 41/18 :

1. सुनील पुत्र अर्जनराम जाति बिश्नोई निवासी गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरूद्व आदेश दिनांक 25–06–2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 25—06—2010 जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम वरियता होते हुए भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष आवेदन क्रमांक 1656/07 के द्वारा चक 9 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 203/9 के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि अपीलांट के धारण के चक में ही स्थित भूमि है तथा अपीलांट उसी तहसील का ही निवासी है ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की ही बनती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि वह भूमिहीन नहीं है। जबकि अदालत मातहत द्वारा मनमर्जी से आवंटन नियम 13 ए की गलत व्याख्या करते हुए आवंटन नियमों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। वादगत् भूमि चक 9 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 203/09 के आवंटन हेतु अपीलाट, रेस्पोडेन्ट व तीन अन्य आवेदकों ने विशेष आवंटन में आवंटन हेतु वर्ष 2007 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर दिनांक 25—06—2010 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर करीब 03 वर्ष उपरान्त रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता मानते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही अन्य आवेदकों को कोई सूचना, नोटिस अथव सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों ही एक ही चक के निवासी है। प्रकरण में अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट के धारण में 2.05 बीघा कमाण्ड व 4.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि मानते हुए प्रथम वरियता कायम की गई व आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। जबकि अपीलांट के पास 4.09 बीघा कमाण्ड व 015 बीघा अनकमाण्डरकबा है। इस प्रकार दोनों ही समान वरियता बनती है। रेस्पोडेन्ट व रेस्पोडेन्ट के परिवार के अन्य लोगों के पास 100—150 बीघा भूमि अन्य चकों में स्थित है। जिस बाबत् कोई रिपोर्ट अदालत मातहत द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा तथ्यों को छिपाकर अर्थात अपने धारण की पूर्ण भूमि को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवांटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विरूद्व दिनांक 11—10—2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 2007 में चक चक 9 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 203/9 में भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अलावा अन्य आवेदक सुनील कुमार पुत्र अर्जुनराम, जुगल किशोर पुत्र मदनगोपाल, कंवर पाल सिंह पुत्र नून सिंह व नानूराम पुत्र पन्नाराम आदि ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखे थे।

अदालत मातहत द्वारा सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच करते हुए नियमानुसार उनके धारण की भूमि की समीक्षा करते हुए तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। उक्त तुलनात्मक विवरण में पाया गया कि रेस्पोडेन्ट के धारण में अन्य आवदकों की तुलना में कम भूमि है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मानते हुए अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को चक 9 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 203/09 की 19 बीघा कमाण्ड व 6 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। अतः आवंटन का पात्र घोषित किया जाता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश की पालना में आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है अपीलांट अन्य भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर चक 9 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 203/09 रकबा 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन प्रथम वरियता मानते हुए किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए) के अध्यधीन अन्य प्रस्तावित भूमि चक 9 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 71/11 की 23 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व उनके धारण में निहित भूमि के आधार पर तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। उक्त तुलनात्मक विवरण में प्रथम वरियता रेस्पोडेन्ट शंकरलाल पुत्र सहीराम को वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए अन्य सभी औपचारिकता करते हुए वादगत् भूमि चक 9 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 203/09 की 25 बीघा भूमि का विशेष आवंटन किया गया है।

(4) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन की उनके द्वारा उक्त रकबे के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। जिस पर गौर किये बिना आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए आवंटन करवाया गया है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व पक्षकारों के धारण की भूमि के बारे में रिपोर्ट प्राप्त की जाती। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र पक्षकारों के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत अथवा आवेदन पत्र में लिखित धारण की भूमि के अनुसार ही तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया है।

(5) प्रस्तुत मामलें में वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट व अन्य आवेदकों द्वारा वर्ष 2007 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे अदालत मातहत द्वारा उक्त आवेदनों पर 03 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गई व तत्पश्चात् अपीलांट व अन्य आवेदकों को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो किसी भी स्थिति में विधि सम्मत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में हम यह उचित पाते है कि अदालत मातहत पुनः सभी आवेदकों के धारण की भूमि की जॉच कर, पुनः तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 25—06—2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सभी आवेदकों/पक्षकारों के धारण की भूमि की पुनः जॉच, तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर